



सस्य विज्ञान विभाग
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर 303329, जयपुर राज.)

क्रमांक: एग्रो/श्रीकनकृमवि/2018/34

दिनांक: 29.05.2018

सीमित निविदा सूचना

पंजीकृत एवं इच्छुक एजेन्सियों को सूचित किया जाता है कि सस्य विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के आर.के.वी.वाई. प्रोजेक्ट में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगाने हेतु जयपुर जिले के भन्दे बालाजी, जालसू, जोबनेर एवं अन्य क्षेत्रों में गोबर की खाद, मुर्गियों की खाद एवं केंचुए की खाद की आपूर्ति मय ट्रान्सपोर्टेशन जिनकी मात्रा क्रमशः लगभग 100 टन, 50 टन एवं 20 टन है। गोबर की खाद, मुर्गियों की खाद एवं केंचुए की खाद किसानों के खेतों पर डाली जाएगी।

अतः इच्छुक फर्म/पार्टी/निविदादाता अपनी दर प्रति टन के हिसाब से संलग्न प्रपत्र में मय हस्ताक्षर सहित बंद लिफाफे में अक्षोहस्ताक्षर कर्ता सस्य विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में दिनांक 07.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे तक जमा करवा दें। निविदा उसी दिन प्रातः 11.00 बजे निविदा कमिटी द्वारा सस्य विज्ञान विभाग कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय में खोली जायेगी। यह दर संविदा दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी जिसे आपसी सहमति पर आवश्यकता होने पर नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी।

शर्तें :-

- 1- निविदा के साथ 3000 रुपये बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी
- 2- एजेन्सी/फर्म/निविदादाता पंजीकृत एवं GST प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
- 3- खाद पूर्तिकर्ता निर्धारित स्थान पर उचित समय पर पूर्ति करना अतिआवश्यक है।
- 4- उक्त कार्य को कार्यादेश मिलने के 5 दिवस में पूर्ण करना होगा।
- 5- निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
- 6- निविदादाता का बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या होना अतिआवश्यक है।
- 7- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 9- निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
- 10- सभी प्रकार के खादें पूर्णत सडी एवं अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
- 11- निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने हैं :

(i) एजेन्सी/फर्म का प्रमाण पत्र

(ii) GST पंजीयन प्रमाण पत्र

(iii) निविदादाता प्रपत्र (परिशिष्ट 'अ')

12-अन्य शर्त/नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR के प्रावधानुसार लागू रहेंगे।

संलग्न: दर प्रपत्र


अधिष्ठाता

सस्य विज्ञान विभाग आवश्यकता होने पर गोबर की खाद, मुर्गियों की खाद एवं केंचुए की खाद उपलब्ध कराने की दरें:-

क. स. (1)	खाद का विवरण (2)	दर प्रति टन (3)	GST % (4)	GST राशि (5)	कुल दर प्रति टन (6)
1.	गोबर की खाद				
2.	मुर्गियों की खाद				
3.	केंचुए की खाद				

मेरे द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं इसकी पालना करूँगा।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर